राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.4(13)मार्गदर्शन/विधि/पंरा/2021/957 जयपुर, दिनांकः 26.11.2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।

विषयः– प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान जारी किये जाने वाले पट्टों के संबंध में मार्गदर्शन ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कतिपय ज़िला परिषदों द्वारा कुछ बिन्दुओ यथाः पूर्व में जारी पट्टा चोरी/नष्ट/गुम हो जाने तथा संबंधित ग्राम पंचायत में पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की स्थिति आदि के बाबत प्रकरण का निस्तारण किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। अतः विभाग को प्राप्त विभिन्न पत्रों में वर्णित बिन्दुओं के क्रम में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता हैः–

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 अथवा वर्ष 1994 से पूर्व में विद्यमान अधिनियम/नियमों के तहत तत्समय ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये गए पट्टों के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा उसका मूल पट्टा चोरी/गुम/नष्ट होने पर, नया पट्टा जारी किये जाने से संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने के लिएः–

   (1) ग्राम पंचायत के स्वयं के रिकॉर्ड में उपलब्ध कार्यालय प्रति होने की दशा में पट्टा चोरी होने की स्थिति में FIR की प्रति मय शपथ पत्र के एवं यदि पट्टा नष्ट/गुम हो गया हो तो इस आशय का आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जाकर, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नया पट्टा जारी करने की विहीत प्रक्रिया अपनाई जाकर उसे Duplicate पट्टा जारी कर सकती है ।

   (2) ग्राम पंचायत के स्वयं के रिकॉर्ड में कार्यालय प्रति उपलब्ध नहीं होने की दशा में पट्टा चोरी होने की स्थिति में FIR की प्रति मय शपथ पत्र के एवं यदि पट्टा नष्ट/गुम हो गया हो तो इस आशय का आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त किया जाकर, उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए आमजन से आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नया पट्टा जारी करने की विहीत प्रकिया अपनाई जाकर उसे नया पट्टा जारी कर सकती है ।

.....2

Scanned with CamScanner

2. जिन प्रकरणों में आवेदक द्वारा पूर्व में जारी पट्टे की मूल प्रति प्रस्तुत की जाकर उसके पुनर्विधिमान्यकरण/पट्टा विभाजन/नामान्तकरण/भू–उपयोग परिवर्तन आदि के लिए आवेदन किया जाए एवं संबंधित ग्राम पंचायत के पास किसी भी कारणवश पंचायत रिकॉर्ड में आवेदक द्वारा प्रस्तुत पट्टे की कार्यालय प्रति संधारित नहीं होना पाया जाए तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित आवेदक से उसके द्वारा प्रस्तुत पट्टा सही होने के आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाये । तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए आमजन से आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा संतुष्ट होने की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाकर, निस्तारण किया जा सकता है ।
3. राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत आवासीय भूमि के उप–विभाजन/पुनर्गठन की प्रक्रिया में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप–52 में जारी अनुज्ञा के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक का मूल पट्टा जमा किया जाकर अनुज्ञा के अनुसार नया पट्टा जारी किया जा सकेगा ।
4. विभाग के समक्ष यह बिन्दु भी सामने लाया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी आवासीय पट्टों के पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त की जाकर पंचायत द्वारा जारी पट्टों को ही पूर्ण वैधता प्रदान करवाई जाये । इस संबंध में लेख है कि आवासीय पट्टों का पंजीकरण प्रचलित कानूनों के तहत एक अनिवार्य विधिक प्रक्रिया है, जिसमें छूट प्रदान नहीं की जा सकती है ।
5. जिन ग्राम पंचायतों में ज़िला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायतों को आबादी हेतु कुछ खसरे दर्ज किये जा रहे हैं । उक्त खसरों में आबादी बसी हुई हो एवं पक्के मकान हों तो ऐसी आबादी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत के नाम स्वामित्व दर्ज होने पर, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकते हैं ।
6. ऐसे प्रकरण जहां ग्राम पंचायत में आबादी भूमि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के लागू होने की पश्चात की अवधि में निहीत हुई हो तथा उस भूमि पर कोई व्यक्ति नियम–157 के प्रावधान की पालना में पात्रता रखता हो तो पंचायत द्वारा उसे नियम–157 के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर पट्टा दिया जा सकता है ।

(पी0सी0 किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
2. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

Scanned with CamScanner